अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
छात्रवृत्ति प्रभाग

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसियों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता हेतु जिन्होंने सिविल सेवा समूह 'क' तथा 'ख' पदो के लिए वर्ष 2014 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) तथा राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, से आवेदन आमंत्रित करता है।

2. सभी स्त्रोतों से परिवार की कुल आय 4.5 लाख रु0 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. वित्तीय सहायता की दर अधिकतम 50,000/– रु0 राजपत्रित पद के लिए तथा 25,000/– रु0 अराजपत्रित पद के लिए होगी। यह एक बार प्रदान किया जाता है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2013–14 में इस लाभ को उठाया है, पात्र नहीं है। अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। यूपीएससी तथा एसएससी आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर एक अभ्यर्थी से कई आवेदन प्राप्त होने के मामले में सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

4. योजना का ब्यौरा और आवेदन पत्र का प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in ——→ संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता योजना पर उपलब्ध है।

5. आवेदन प्रपत्र में यथा उल्लिखित सभी संगत दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित आवेदन अवर सचिव (छात्रवृत्ति), कमरां नं. 1130, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पर्यावरण भवन, 11वां तल, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को भेजा जाए। लिफाफे के ऊपर "संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता की योजना के लिए आवेदन" लिखा हुआ होना चाहिए और **यह प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए।**